

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-२, बरेली।

परिवाद सं०-3350 / 2022

शुभ ट्रेडर्स

बनाम

प्रबन्धक एलेक्सजेन्ड्रिया इंटर नेशनल

धारा-138 एनआई0एक्ट

थाना-प्रेमनगर

जिला-बरेली।

दिनांक-24.01.2024

पत्रावली पेश हुयी। बार-बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि परिवादी विगत काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। पत्रावली विगत कई तिथियों से बहस तलबी के स्तर पर चल रही है। परिवादी को पूर्व की तिथि पर अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की परिवाद को चलाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(साधना कुमारी गुप्ता)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-२, बरेली।